4/03/2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपा।
प्रकरण अस्थायी निषेधाज्ञा प्रा. पत्र पर बहस
पक्षकारान सुनी गयी।

विद्वान प्रार्थिया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त वाद तकासमा का है। विवादित आराजियात में कुल किता 21 रकबा 6.47 हैक्टे. है। जिसमें सभी काश्तकार ने अपनी सहमति से बांट रखी है व काश्त कर रहे है। प्रार्थिया ने विवादित आराजीयात में से जमीन के खातेदार कमली, शांति एवं चम्पो से उनका हिस्सा ख. नं. 1001 को छोड़कर दिनांक 21/7/15 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर लिया है। तभी से प्रार्थिया उक्त हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 13

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ |
|---|---|---|
| | प्रार्थीया को परेशान करते रहते है एवं उसे बेदखल करना चाहते है। अतः प्रा. पत्र स्वीकार करते हुये अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थीया को उसके हिस्से के कब्जेकाश्त में नाजायज रूप से बेदखल नहीं करे एवं मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रत्युत्तर में कथन किया कि अप्रार्थी सं. 13 भी विवादित आराजीयात. में खरीददार है। खसरा नं. 693, ख. नं. 695 एवं ख.नं. 696 में से 35/48 है. भूमि अप्रार्थी सं. 13 ने जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र खरीदी है। मौके पर अप्रार्थीगण काबिज है। अतः प्रार्थीया का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र जवाब प्रा.पत्र का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया। मनन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीया ने उक्त वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण रकासमा का प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र | |

Scanned with CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | के माध्यम से विवादित आराजियात में से 1001 ख. न. को छोड़कर शेष ख. नम्बरान में से खातेदार कमली शांति और चम्पो का हिस्सा क्रय किया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में है। प्रार्थिया को अगर उसके हिस्से में काश्त करने से रोका जाता है, बेदखल किया जाता है तथा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है। अतः प्रार्थिया का प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार करना न्यायालय न्यायसंगत समझता है। अतः प्रार्थिया का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थिया एक-दूसरे के हिस्से की कब्जा काश्त में उपयोग, उपभोग में मदाखलत नहीं करें। साथ ही मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। दर्ज नं. से कमहो। संलग्न शामिल हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। [signature] |

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Karol
Date: 2020.06.09 18:51:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: